राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–826/2007/उदयपुर

श्री कैलाश पिता लक्ष्मण जी कर्णावट
निवासी 304–ए, सर्कल न्यू अपार्टमेंट,
सुखाडिया सर्कल के पास, उदयपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. उपंपजीयक प्रथम, उदयपुर
2. श्री प्रदीप सिंह पिता मानसिंह जी रावत
   निवासी भटियानी चौहट्ठा, उदयपुर ....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अशोक नाथ
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 20.03.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त उदयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 05.12.2015 प्रकरण संख्या 275/2000 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक प्रथम, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी के पक्ष में हमीरगढ की हवेली, भट्टीयानी चोहट्टा, उदयपुर प्लाट क्षेत्रफल 3575 वर्गफीट सम्पत्ति मालियत रू 50,000/– पर विक्रय इकरार कर पंजीयन हेतु उप पंजीयक प्रथम उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक ने दिनांक 27.10.1998 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् जांच दल द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उक्त दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुये सम्पत्ति का मूल्यांकन 5,00,000/– रू आंकते हुए राशि वसूली हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायायल में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को स्वीकार करते हुये कमी मुद्रांक कर 31500/– एवं कमली पंजीयन शुल्क रू निल/– एंव शास्ति रू 500/– आरोपित कर कुल राशि रू. 32,000/–रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि निगरानीधीन निर्णय बिना नोटिस तामील कराये एकपक्षीय पारित किया है। मुद्रांक कर का भार विक्रेता पर था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मुद्रांक कर अदा करने का दायित्व प्रार्थी का भी मान लिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी के पक्ष में हमीरगढ की हवेली, भट्टीयानी चोहट्टा, उदयपुर प्लाट क्षेत्रफल 3575 वर्गफीट सम्पत्ति मालियत रू 50,000/– पर विक्रय इकरार कर पंजीयन हेतु उप पंजीयक प्रथम उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक ने दिनांक 27.10.1998 को दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् जांच दल द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उक्त दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुये सम्पत्ति का मूल्यांकन 5,00,000/– रू आंकते हुए राशि वसूली हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायायल में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को स्वीकार करते हुये कमी मुद्रांक कर 31500/– एवं कमली पंजीयन शुल्क रू निल/– एंव शास्ति रू 500/– आरोपित कर कुल राशि रू. 32,000/–रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

9. प्रार्थी का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि उसे सुनवाई का विधिवत अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार तामील की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विवेचना एवं विश्लेषण का अभाव है। निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड है। इस दृष्टिकोण से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के

कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2018 को पेश हों। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 को भी पक्षकार बनाकर नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया जावे तथा अप्रार्थी सं 2 का निगरानी में नाम प्रदीप सिंह अंकित किया गया है जबकि इकरारनामें में युग प्रदीप सिंह अंकित है, अतः इस संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी सं. 2 के संबंध में नियमानुसार आवश्यक संशोधन कर लेवें।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य